

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला बैहर  
जिला- बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

**आपराधिक पुनरीक्षण क्र.-4 / 2018**

संस्थित दिनांक - 11.01.2018

फाईलिंग नंबर सी.आर.आर./80 / 2018

सी.एन.आर.-एम.पी. 5005000982018

मनोज कुमार उम्र 27 वर्ष पिता गणेश टेंभरे जाति पंवार,  
निवासी ग्राम काश्मेरी थाना बैहर तहसील परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट

पुनरीक्षणकर्ता ।

- / / विरुद्ध / / -

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर

- - उत्तरवादी ।

{न्यायालय: श्री दिलीप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर जिला बालाघाट द्वारा दिनांक 04.01.2018 को आप.प्र.क.  
क्र. 01/18 शासन विरुद्ध मनोज कुमार में सुपुर्दनामा  
आवेदन को निरस्त करने से पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन पत्र  
अंतर्गत धारा 397 द.प्र.स. 1973 का परिवेदित होकर पेश की  
है}

श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता ।  
श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उत्तरवादी/राज्य ।

- / / / आदेश / / / -

(आज दिनांक 16 जनवरी 2018 को पारित)

1- यह दाण्डिक पुनरीक्षण न्यायालय श्री दिलीप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/2018 शासन विरुद्ध मनोज कुमार में पारित आदेश दिनांक 04.01.2018 में पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द.प्र.स. आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है ।

2- पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पेश मूल आवेदन का सार यह है कि आवेदक के स्वामित्व की मोटरसाईकिल क्र. एम.पी. 50 एम.जे. 0745 है जो पुलिस थाना बैहर के अपराध क्र. 222/17 धारा 279, 337, भा0दं0वि0 के अपराध में

दस्तावेज जप्त है। आवेदक पंजीकृत स्वामी होने से वाहन दैनिक उपयोग की वस्तु होने के कारण सुपुर्दनामा पर चाहता है। सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने के पश्चात् वाहन का विक्रय नहीं करेगा, रंग परिवर्तन नहीं करेगा, अंतरित नहीं करेगा, सभी अधिरोपित शर्तों का पालन करेगा आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की है।

3— पुनरीक्षण आवेदन पत्र का सार यह है कि आवेदक ने उक्त वाहन प्राप्त करने के लिये न्यायालय श्री दिलीप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर के न्यायालय में धारा 457 द.प्र.सं. के अधीन आवेदन पत्र पेश किया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अभियोग पत्र पेश हो चुका है। स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश होने के बाद भी, अभियोग पत्र पेश हो जाने के बाद भी सुपुर्दनामा आवेदन पत्र वाहन का बीमा न होने के आधार पर निरस्त किया गया है, आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। पुनरीक्षण स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.01.18 निरस्त किया जाकर वाहन सुपुर्द किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की है।

#### पुनरीक्षण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/18 शासन विरुद्ध मनोज कुमार में पारित आदेश दिनांक 04.01.2018 में विधि की त्रुटि होने से अथवा शुद्धता न होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

#### विचारणीय प्रश्न का उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष

4— उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। यह अविवादित है कि दुर्घटना के समय आवेदक के स्वामित्व के वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एम.जे. 0745 बीमीत नहीं है।

5— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुसार दुर्घटना में आलिप्त वाहन जिनका बीमा न हो को संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को उस अपराध क्रमांक में ऐसा वाहन जप्त कर उसे विक्रय कर विक्रय की राशि उस क्षेत्र के सक्षम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष जमा करना है।

6— यदि पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर दिये गये (डी.ए.आर.)निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन होगा, ऐसे उल्लंघन करने की अधिकारित इस न्यायालय को नहीं है। परिणामतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

7— आदेश की एक प्रति मूल प्रकरण के साथ संलग्न कर विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

सही /—  
(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
शृंखला बेहर

सही /—  
(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
शृंखला बेहर